न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा
आँगनबाड़ी वाद संख्या-07/2019

श्रीमती स्वाति कुमारी

बनाम

हीरा कुमारी एवं अन्य

-: आदेश :-

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय से आँगनबाड़ी वाद सं0-22/2018 स्वाति कुमारी बनाम राज्य एवं हीरा कुमारी में दिनांक-18.02.19 को पारित आदेश द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक-1129/प्रो0,दिनांक-12.07.18 को खंडित करते हुए दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर एक माह के अन्दर मुखर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय में वाद सं0-7/19 दाखिल करते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई में उपस्थित होने का नोटिस डी0बी0नं0-33, दिनांक-06.03.19 निर्गत किया गया। प्रस्तुत वाद घैलाढ़ प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-चित्ती, वार्ड नं0-06 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका चयन से संबंधित है। जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर वाद आदेशार्थ रखा गया।

वादी श्रीमती स्वाति कुमारी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-चिकनोटवा, वार्ड नं0-06, ग्रम पंचायत-चित्ती, प्रखण्ड-घैलाढ़ के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-1129/प्रो0, दिनांक-12.07.18 द्वारा निर्गत आदेश से विक्षुब्ध होकर वादी द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-22/2018 दाखिल किया गया। जिसमें समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक-1129/प्रो0, दिनांक-12.07.18 को खंडित करते हुए पुनः विधिवत सुनवाई करते हुए एक माह के अन्दर मुखर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रखण्ड घैलाढ़ में ग्राम पंचायत-चिनोटवा, वार्डनं0-06 के आँगनबाड़ी केन्द्र पर आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसमें सेविका पद के लिए दो उम्मीदवार 1. स्वाति कुमारी (वादी) 2. हीरा कुमारी (प्रतिवादी) थी। उक्त केन्द्र पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है, तथा दोनों उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से है। मेघा अंक तैयार किया गया, जिसमें हीरा कुमारी को 70.8 % मेघा अंक तथा स्वाति कुमारी को 59.8 % अंक है। दिनांक-19.04.18 को आमसभा का आयोजन हुआ, जिसमें वादी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। वादी द्वारा आमसभा में श्रीमती हीरा कुमारी के खिलाफ लिखित आपत्ति दी गयी थी कि हीरा कुमारी राजकीय बुनियादी विद्यालय अभ्यास विद्यालय, सुखासन से अष्टम् वर्ग की पढ़ाई की थी और उनका जन्म तिथि 10.03.1996 है, जबकि हीरा कुमारी ने सेविका पद के लिए दाखिल आवेदन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रतिवादी हीरा कुमारी की जन्म तिथि 16.03.1995 है। साथ ही दुर्गा सर्वोदय उच्च विद्यालय सुखासन मनहरा, मधेपुरा में वर्ष 2008 में नामांकन ली थी, और माध्यमिक तक पढ़ी, परन्तु वह वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में फार्म

नहीं भरी थी। दुर्गा सर्वोदय उच्च विद्यालय, सुखासन, मनहरा में नामांकन में हीरा कुमारी ने अपनी जन्म तिथि 10.02.1996 दी थी। जबकि हीरा कुमारी (प्रतिवादी सं0-01) ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से शैक्षणिक प्रमाण पत्र वर्ष 2010 का दी है, जिसमें हीरा कुमारी का जन्म तिथि 16.03.1995 है। इस प्रकार विपक्षी श्रीमती हीरा कुमारी का तीन प्रमाण पत्रों पर जन्म तिथि क्रमशः 10.03.1996, 10.02.1996 एवं 16.03.1995 है। जिसके बिना पर आमसभा में उपस्थित ग्रामीण जनता ने हीरा कुमारी के फर्जीवाड़ा किये जाने एवं जाली होने के कारण जोरदार विरोध किया गया। प्रतिवादी हीरा कुमारी ने शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार भी किया है कि उनका जन्म तिथि अलग-अलग प्रमाण पत्रों में है जिसे आमसभा में पोषक क्षेत्र के ग्रामीण जनता ने गंभीर रुप से लिया तथा प्रतिवादी हीरा कुमारी का चयन आमसभा में नहीं किये जाने का आग्रह किया तो चयन समिति द्वारा वादी के प्रमाण पत्रों एवं साक्ष्य के आधार पर हीरा कुमारी का चयन नहीं कर वादी श्रीमती स्वाति कुमारी का चयन ग्राम पंचायत-चित्ती, वार्डनं0-06, प्रखण्ड-घैलाढ़ के स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका पद पर सर्वसम्मति से किया गया, जो विधि अनुकूल है। वादी को दिनांक-19.04.18 को ही चयन पत्र भी निर्गत किया गया। वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादी सं0-01 श्रीमती हीरा कुमारी के जन्म से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्रों को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा के परिवाद सं0-411110127071801305 में पारित आदेश 27.07.18 से भी स्पष्ट है कि हीरा कुमारी ने अपने जन्म तिथि में जाल फरेब किया। ऐसी स्थिति में वे पूर्णरुपेण अयोग्य उम्मीदवार है। साथ ही समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय से आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-07/2017 में आदेश पारित किया गया कि सुजाता देवी बनाम राज्य एवं पूनम देवी में समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी मधेपुरा द्वारा " दो भिन्न-भिन्न संस्थानों में अलग-अलग जन्म तिथि अंकित कर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त की है। एक ही व्यक्ति का दो जन्म तिथि होने का प्रश्न नहीं उठता है।"

वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा प्रखण्ड-घैलाढ़ के ग्राम पंचायत-चित्ती स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-104 की सेविका पद के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार होने के कारण अपने चयन का अनुरोध की है।

साक्ष्य के रुप में वादी द्वारा न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-22/2018 में पारित आदेश की छाया प्रति, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा के परिवाद सं0-411110127071801305 में पारित आदेश की प्रति, न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-07/2017 सुजाता देवी बनाम पूनम देवी में दिनांक-24.11.17 को पारित आदेश की छायाप्रति, प्रभारी प्रधानाध्यापक, दुर्गा सर्वोदय, माध्यमिक विद्यालय, सुखासन मनहरा, मधेपुरा के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दी गयी सूचना की छाया प्रति, राजकीय बुनियादी अभ्यास विद्यालय, सुखासन के प्रधानाध्यापक द्वारा लोक सूचना के तहत उपलब्ध करायी गयी सूचना, प्रतिवादी हीरा कुमारी के अष्टम् वर्ग के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी

शिक्षा संस्थान से निर्गत हीरा कुमारी का औपबंधिक प्रमाण पत्र, दिनांक-19.04.18 को आयोजित आमसभा की कार्यवाही पंजी, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सम्बोधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ का जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति एवं शपथ पत्र संलग्न की है।

प्रतिवादी हीरा कुमारी, पति-श्री आलोक कुमार, सा0-चिकनोटवा, वार्ड नं0-06, ग्राम पंचायत-चित्ती, प्रखण्ड-घैलाढ़ के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादी श्रीमती स्वाति कुमारी द्वारा आवेदन सेविका पद पर करने के कम में नोटरी पब्लिक मधेपुरा के समक्ष शपथ पत्र सं0-7960/24.03.18 में उल्लेख किया है कि वादी स्वाति कुमारी के कोई रिश्तेदार जनप्रतिनिधि नहीं है, और न हीं उनका कोई सगा संबंधी जनप्रतिनिधि है। न ही वर्त्तमान में जनप्रतिनिधि से रिश्तेदारी है। लेकिन वादी के पति श्री रंजीत कुमार दिनांक-24.03.18 को ग्राम पंचायत चित्ती के वार्ड नं0-06 के वार्ड सदस्य है। इस प्रकार वादी का दाखिल शपथ पत्र गलत वो बेबुनियाद है। दिनांक-24. 03.18 से पूर्व तथा वर्त्तमान समय में भी वादी स्वाति कुमारी के पति श्री रंजीत कुमार ग्राम पंचायत-चित्ती, वार्ड नं0-06, प्रखण्ड-घैलाढ़ के वार्ड सदस्य है। मात्र प्रशासनिक पदाधिकारी को धोखा देने हेतु त्याग पत्र देने वो नहीं पहुँचने का स्वांग रचा गया है। मार्गदर्शिका के 4.8 के अन्तर्गत वैसे अभ्यर्थी जिसकी पत्नी/बहु/रिश्तेदार अभ्यर्थी है, वह अयोग्य है। किन्तु वादी के पति श्री रंजीत कुमार वार्ड सदस्य के रुप में निर्वाचित थे, किन्तु उनकी पत्नी अभ्यर्थी के रुप में आवेदन की थी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-453, दिनांक-17.05.18 द्वारा प्रतिवादी को सूचना निर्गत किया गया कि दिनांक-17.05.18 तक घैलाढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत-चित्ती वार्ड नं0-06 के वार्ड सदस्य के त्यागपत्र से संबंधित कोई सूचना प्रखण्ड कार्यालय, घैलाढ़ द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ ने भी अपने पत्रांक-336-2, दिनांक-7.6.18 को सूचना प्रतिवादी को दी गयी कि श्री रंजीत कुमार वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत-चित्ती का दिनांक-05.04.18 को त्याग पत्र समर्पित किया गया, जिसे निबंधित डाक द्वारा आवेदन को वापस की गयी। वादी एवं प्रतिवादी दोनों स्वीकार करते है कि वादी को 59.80% तथा प्रतिवादी को 70.80% अंक है। जिसे नजरअंदाज कर वादी का चयन किया गया था। जिसके विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को शिकायत आवेदन दिया गया ,जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ से प्रतिवेदन की माँग कर वादी के चयन को रद्द करते हुए उत्तरवादी का चयन किया गया, जो विधिसम्मत है। प्रतिवादी हीरा कुमारी द्वारा दो जन्म प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था, मात्र मैट्रिक का प्रमाण पत्र दाखिल किया गया, जिस पर जन्म तिथि 16.03.1995 अंकित है, जो बिल्कुल सही है। वादी द्वारा प्रतिवादी के अष्टम वर्ग के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में प्रतिवादी की जन्म तिथि 10.03.1996 प्राप्त कर दाखिल किया, जिसके प्रतिरोध में उत्तरवादी ने शपथ पत्र सं0-4213, दिनांक-7.4.18 दाखिल कर ब्यान दिया है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 16.03.1995 है और उन्होनें अष्टम वर्ग के भूलवश जन्म तिथि 10.03.1996 का कभी किसी संस्थान या अन्यत्र उपयोग नहीं किया है।

यह भी उल्लेख किया है कि विधि बाल संस्कार अधिनियम 1996 संशोधित 2001 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि भी सर्वमान्य है और उसके नहीं रहने पर अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। विभागीय निदेश पत्रांक-1669, दिनांक-09.06.12 भी स्पष्ट करता है कि सेविका/सहायिका की जन्मतिथि उसके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि माना जायेगा। वादी द्वारा उम्र के संबंध में जो आरोप लगाया गया है वह सर्वथा गलत एवं भ्रामक है। प्रतिवादी के प्रमाण पत्र की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा हो चुकी है, जिसमें उनका अंक पत्र, जन्म तिथि सही पाया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक-1129, दिनांक-12.07.18 द्वारा आँगनबाड़ी सेविका के रुप में चयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ द्वारा किया गया तथा वे निष्ठा वो नियमपूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करती आ रही है। तदनुसार वाद के वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

साक्ष्य स्वरुप प्रतिवादी द्वारा अपना चयन पत्र की छाया प्रति, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, लोक सूचना द्वारा माँगी गयी सूचना की प्रति पत्रांक-1571, दिनांक-04.10.18 की छाया प्रति, लोक सूचना के तहत पत्रांक-458, दिनांक-17.05.18 को जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त सूचना की छाया प्रति, वादी एवं प्रतिवादी के शपथ पत्र की छाया प्रति, प्रतिवादी हीरा देवी द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा के यहाँ बहाली की अनियमितता के संबंध में दाखिल परिवाद के आदेश की छाया प्रति एवं प्रधानाध्यापक, दुर्गा, सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनहरा, द्वारा सूचना के अधिकार के तहत माँगी गयी सूचना में अष्टम् उत्तीर्ण होने की सत्यापति छाया प्रति संलग्न की गयी है।

दिनांक-30.05.2019 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, घैलाढ़ के पत्रांक-112, दिनांक-30.05.19 को महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती राजकुमारी देवी द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रश्नगत केन्द्र वार्ड नं0-06, ग्राम पंचायत-चित्ती स्थित है जो पिछ्ड़ा वर्ग बाहुल्य है, जिसमें सेविका पद हेतु दो आवेदन प्राप्त है तथा सहायिका पद हेतु एक आवेदन प्राप्त है। हीरा कुमारी को 70.80% मेधा अंक प्रतिशत तथा स्वाति कुमारी को 59.80% मेघा अंक प्रतिशत है। स्वाति कुमारी द्वारा हीरा कुमारी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गयी कि हीरा कुमारी द्वारा गलत जन्मतिथि अंकित कर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। जिसके संदर्भ में स्वाति कुमारी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। आमसभा में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा चयन समिति को बताया गया एवं साक्ष्य दिखाया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दूरभाष पर विस्तार से बताया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आमसभा में उपस्थित जनता एवं साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय। आमसभा में उपस्थित जनता एवं चयन समिति द्वारा बताया गया कि जब दो तरह की जन्म तिथि है तो हीरा कुमारी का चयन नहीं किया जाय। तब नियमानुसार स्वाति कुमारी का दावा बनने पर उनका चयन सेविका पद पर किया गया।

भिन्नता होने के कारण हीरा कुमारी का चयन सेविका पद पर नहीं कर वादी स्वाति कुमारी का चयन आमसभा में सर्वसम्मति से किया गया।

महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत-चित्ती, वार्डनं0-06 स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका चयन हेतु दो आवेदन क्रमशः 1. हीरा कुमारी एवं 2. स्वाति कुमारी जिन्हें क्रमशः 70.8% एवं 59.8% मेधा अंक प्राप्त हुआ। दिनांक-19.04.18 को आयोजित आमसभा में स्वाति कुमारी द्वारा हीरा कुमारी के उम्र में भिन्नता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आमसभा में उपस्थित ग्रामीणों एवं चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से हीरा कुमारी को अयोग्य माना गया तथा वादी श्रीमती स्वाति कुमारी का चयन किया गया।

महिला पर्यवेक्षिका एवं वादी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के पत्रांक-169, दिनांक-23.05.18 द्वारा भी समाहर्त्ता महोदय के न्यायालय में समर्पित प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि सेविका अभ्यर्थी हीरा कुमारी के द्वारा आवेदन में संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षक संस्थान (NIOS) द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 16.03.1995 है। जबकि द्वितीय सेविका अभ्यर्थी स्वाति कुमारी द्वारा बुनियादी अभ्यास विद्यालय सुखासन, मधेपुरा से लोक सूचना से प्राप्त की गई हीरा कुमारी के अष्टम् वर्ग के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में जन्म तिथि-10.03.96 है। उक्त संदर्भ में प्रधानाध्यापक, बुनियादी अभ्यास विद्यालय सुखासन के पत्रांक-03, दिनांक-16.04.18 द्वारा हीरा कुमारी, पिता- श्री सुखदेव चौधरी, ग्राम+पो0- सुखासन, को निर्गत अष्टम् के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 10.03.96 होने एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संगठन (NIOS) प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त करने संबंधी पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को उपलब्ध कराया गया। जन्म तिथि मे पाये गये अन्तर के संबंध में हीरा कुमारी द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया कि भूलवश जन्म तिथि 10.03.96 होने जबकि सही जन्म तिथि 16.03.95 है। आमसभा में सर्वसम्मति से हीरा कुमारी का जन्म तिथि में अन्तर होने के कारण स्वाति कुमारी पति-श्री रंजीत कुमार का सेविका पद पर चयन करने का निर्णय लिया गया। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत-चित्ती वार्ड नं0-06 में सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका 2016 के आलोक में स्वाति कुमारी का चयन किया गया। तदनुसार चयन में अनियमितता हाने का आरोप निराधार है।

प्रतिवादी हीरा कुमारी द्वारा वादी स्वाति कुमारी के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि वादी के पति श्री रंजीत कुमार ग्राम पंचायत-चित्ती, वार्डनं0-06 के वार्ड सदस्य है, जिनके द्वारा अबतक त्यागपत्र नहीं दिया गया है। उक्त संदर्भ में वादी द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निबंधित डाक द्वारा अपना त्यागपत्र दिनांक-17.05.18 को भेजा गया, साथ ही मुखिया एवं पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत-चित्ती को भी त्यागपत्र दी गयी है। जिसकी छायाप्रति साक्ष्य के तौर पर समर्पित की गयी है।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निर्गत विनिश्चय में अंकित किया गया है कि प्रथम दृष्टया श्रीमती हीरा कुमारी द्वारा यह वास्तविक जन्म

Lady

	तिथि के छिपाने या अनुकूल परिणाम प्राप्त करने का सोचा समझा प्रयास लगता है। परिवादी श्रीमती स्वाति कुमारी द्वारा सुनवाई के कम में समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-7/2017 सुजाता देवी बनाम राज्य एवं पूनम देवी में पारित आदेश से अवगत कराया गया कि समरुप स्थिति में एह ही अभ्यर्थी का दो जन्म तिथि को अनियमितता के श्रेणी में मानते हुए स्वीकार योग्य नहीं माना गया था। एक ही अभ्यर्थी की तीन जन्मतिथियों को निश्चित रुप से संदेहास्पद माना जाना चाहिए था। सेविका चयन हेतु आमसभा में श्रीमती हीरा कुमारी के तीन जन्म तिथि की वस्तुस्थिति को प्रकाश में लाया गया तथा इसी आधार पर आमसभा द्वारा प्रतिवादी हीरा कुमारी का चयन नहीं किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रतिवादी हीरा कुमारी के जन्म तिथि में भिन्नता होने के कारण प्रश्नगत केन्द्र की सेविका चयन हेतु आहुत आमसभा में प्रतिवादी श्रीमती हीरा कुमारी को अयोग्य करार देते हुए सर्वसम्मति से स्वाति कुमारी का चयन किया गया था, जो विधिसम्मत है। अतएव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादी श्रीमती स्वाति कुमारी को उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका पद हेतुएक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार चयन पत्र निर्गत करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय। लेखापित एवं संशोधित Hady 11/6 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा। Hady 11/6 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा।

डी0बी0सं0....37..../ दिनांक....11.06.2019

प्रतिलिपिः- श्रीमती स्वाति कुमारी, पति-श्री रंजीत कुमार/श्रीमती हीरा कुमारी, पति-श्री आलोक कुमार, दोनों सा0-चिकनोटवा, ग्राम पंचायत-चित्ती, वार्ड नं0-06, प्रखण्ड-घैलाढ़, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Hady 11/6

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,

मधेपुरा।